

Report of Chhattisgarh visit from 17th February 2014 to 28th February 2014

Police Station

Visited Following Police Stations

1. Naughat Police Station of Bemtar District. At the entrance there is main Veranda in which a big size drum containing roughly 100 liters diesel was kept. Entrance was quite dirty. Then is no proper space for officers and constables to sit.

Mr .J.S. Sahni is the inspector incharge of the Police Station and he has a room to sit and work. Few people from nearby villagers were in the police station. Who said that they were being harassed by the Police for no fault?

Dukhu Ram kotwar of Mau said that he has not been given salary for last 4 months. His per month salary is Rs.2,700/- He is living on charity given by the villagers.

There is two lockups which are small, not as per prescribed norm, no light, no toilet, no water facility is available in the lockup.

Mr. Omkar Prasad of Mau, a village of this Police Station was found in the Police station with two persons and said that they were beaten by the Police in the Police Station.

The women lockup are being used as Malkhana (Store Room) for keeping all kind of materials of the Police Station.

The incharge of the police Station said that they do not keep women in Police station, the women are sent to women thane in Bilaspur.

2. Hirri Police Station

This is one of the Police stations of Bilaspur District. Mr. R.L. Bagh is the incharge of this Police Station. He is here for last two months. There is one 108 Ambulance with Doctor in this Police Station help and treat accident Patients but as told by the i/c the Doctors generally remains absent. Generally they take accident cases to Hospital in Bilaspur.

The Police Station is dirty. A good number of two wheelers, four wheelers, truck etc. are lying in the campus of Police Station.

There are Male as well as Female lockup.

Female lockup is being used as Malkhana (Store room) of the Police Station. Women Prisoner are sent to women Police Station of Bilaspur.

Male lockup is dirty, no light facility, no toilet, no drinking water facility.

3. Ratanpur Police Station

This Police Station is also in Bilaspur District Mrs. Sushila is the incharge of the Police Station she is here for last six months. The Police Station is dirty. No proper space to sit for all the Police officers of this Police Station.

There is only one lockup for male only. Female prisoners are forwarded immediately either to court or to the women police station Bilaspur.

Mr. Sanjeet Kumar/ Shiv Kumar found in the police station. He was sitting outside the lockup. Lockup was properly cleaned by sanjeet kumar. Sanjeet Kumar was in lockup last night but since I was visiting so he was kept outside the lockup. He was defined in the police station because he eloped with a girl who resides next door to is house in the village and she is minor, they married in temple. Fathers of the girls complained in the police station and so he was caught. According to him, girl's father has old score to settle with Sanjeet's family so police caught him and detained him in the lockup. He said that police scolded him and beat him in the presence of her father.

4. A darsh kotwali police station, Bilaspur

The police station is in Bilaspur town. Police station lockup is dirty, no light, no drinking water, no toilet facility.

Observations

Police Stations incharge and others officers have no clarity of the sections under which they book prisoners. No IPC and other allied books were available in any of the visited police stations. If this part is taken care of I think number cases can be minimized in courts. Officers of police station are not aware of the welfare role of police and policing. This input is a must in the present context of the state. It is equally important to sensitize the police officers in Human Rights.

Jail

Visited Bilaspur Central Jail on 21/02/2014

It is one of the oldest jails of India and was established in 1873.

The building is quite old. The boundary wall of the jail is close to the halls in which prisoners are lodged. Very recently two prisoners escaped from this jail through boundary wall. This kind of incident happens in the jail frequently.

Bilaspur jail may be made a Heritage jail as many of the freedom fighters were kept in this jail. Bilaspur central jail is overcrowded. Almost three times more than the sanctioned capacities of the jail prisoners are living in this jail. Details are given in following pages.

केन्द्रीय जेल बिलासपुर से संबंधित जानकारी

1. जेल की क्षमता और वर्तमान में परिरुद्ध बंदियों की संख्या :- केन्द्रीय जेल बिलासपुर की 938 पुरुष +70 महिला = 1008 बंदियों की क्षमता है, जिसके विरुद्ध निम्नानुसार बंदी परिरुद्ध है।

दिनांक 21.02.2014 को परिरुद्ध बंदियों की अद्यतन स्थिति

कैदी	पुरुष	विदेशी बंदी	किल्लर	महिला	योग
सक्त कैदी	1758	00	01	89	1848
साधारण कैदी	33	00	00	00	33
विचाराधीन बंदी	742	01	00	68	811
सिविल बंदी	03	00	00	00	03
मृत्यु दण्डित बंदी	01	00	00	00	01
योग	2537	01	01	157	2696
					+ 25 बच्चे

2. विचाराधीन बंदियों की संख्या :- केन्द्रीय जेल बिलासपुर में वर्तमान समय में 742 पुरुष एवं 68 महिला बंदी कुल 811 विचाराधीन बंदी परिरुद्ध है।
3. मानसिक रूप से बीमार बंदियों की संख्या :- केन्द्रीय जेल बिलासपुर में 48 मानसिक रूप से बीमार बंदी परिरुद्ध है।
4. विदेशी राष्ट्रियता वाले बंदियों की संख्या :- केन्द्रीय जेल बिलासपुर में वर्तमान समय में 01 विचाराधीन बंदी परिरुद्ध है। (विदेशी विचाराधीन बंदी विकटर ऊचे आंठ ओजेनाका, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ओवरी-जाईजेरिया)
5. दूसरे राज्यों के बंदियों की संख्या :- केन्द्रीय जेल बिलासपुर में वर्तमान समय में दूसरे राज्यों के 77 विचाराधीन एवं 71 दण्डित बंदी परिरुद्ध है।
6. ऐसे मानसिक रोगी बंदी जो दोषमुक्त किये जा चुके हैं :- निरंक है।
7. मानसिक रोगी बंदी :- केन्द्रीय जेल बिलासपुर में 48 मानसिक रूप से बीमार बंदी परिरुद्ध है।
8. विडियों कान्फ्रेंसिंग सुविधा :- केन्द्रीय जेल बिलासपुर में विडियों कान्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध है।
9. जल व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था :- (1) जल व्यवस्था-परिरुद्ध बंदियों हेतु जेल परिसर में ही कुल 04 नग ट्यूबवेल उपलब्ध है। जिसमें 03 ट्यूबवेल चालू हालत में हैं एवं 01 ट्यूबवेल बन्द है। 01 नग ओव्हर हेड टैंक है जो कि लगभग 2000 लीटर की क्षमता का है, जिससे बंदियों के दैनिक दिनचर्या हेतु एवं पीने का शुद्ध पानी प्रदाय किया जाता है। साथ ही इन्हीं ट्यूबवेल से जेल आवासीय परिसर में पानी की आपूर्ति की जा रही है। जिसमें समय-समय पर नगर निगम के माध्यम से टंकी साफ-सफाई की जाती है। पानी की शुद्धता हेतु क्लोरिन लिक्विड एवं क्लोचिंग प्रावडर डाला जाता है। वर्तमान में पानी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रहा है। (2) सफाई व्यवस्था-केन्द्रीय जेल बिलासपुर में 05 सफाई कर्मचारी पदस्थ हैं जिनके द्वारा जेल के अंदर एवं बाहर की नियमित रूप से साफ-सफाई की जाती है।

10. **भोजन व्यवस्था :-** जेल नियमावली के नियमानुसार निर्धारित मापदण्ड में बंदियों को भोजन चिकित्सा अधिकारी के परीक्षणोंपरांत वितरण कराया जाता है। बंदियों हेतु भोजन पाकशाला में दण्डित बंदियों द्वारा ही तैयार किया जाता है।
11. **अशासकीय संदर्शक :-** छ.ग. शासन, गृह (जेल) विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर का अधिसूचना क्रमांक एफ-1-10 / तीन-जेल/2011 रायपुर, दिनांक 16.11.2011 द्वारा नियुक्त अशासकीय संदर्शक का नाम निम्नानुसार है।
 (1) श्री मनोज दुबे, मु.पो. सिरगिट्टी
 (2) श्री कमलेश गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता, मु. चुनचुनिया, पो. सरगवां
 (3) श्री रामानुज श्रीवास, थाना पो. मस्तूरी
 (4) श्री राजेन्द्र अग्रहरि, मु.पो. मटियारी सीपत
 (5) श्री नारायण तावड़कर, मध्य नगरीय चौक विलासपुर
 (6) श्री रिकू मित्रा, विद्या नगर गायत्री मंदिर के पास विलासपुर
 (7) श्रीमती सरोजनी कुर्मी, सीपत रोड सरकंडा विलासपुर
12. **महिला बंदी :-** केन्द्रीय जेल विलासपुर में वर्तमान समय में 157 महिला बंदी परिरुद्ध है।
13. **महिला बंदी जिनके साथ बच्चे है :-** केन्द्रीय जेल विलासपुर में महिला बंदियों के साथ रह रहे की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	बच्चे का नाम	आयु	लिंग	माता का नाम
1	कृष	4½ वर्ष	लड़का	श्रीमति प्रेमलता
2	विक्रम	5½ वर्ष	लड़का	श्रीमति राजकुमारी
3	कल्पना	5½ वर्ष	लड़की	श्रीमति घनाबाई
4	सपना	3½ वर्ष	लड़की	श्रीमति मनीषा
5	साधना	2½ वर्ष	लड़की	श्रीमति विसाहीन (दादी)
6	लक्की	2½ वर्ष	लड़का	श्रीमति कुमारी (दादी)
7	कृष्णा	2½ वर्ष	लड़का	श्रीमति संगीता
8	अनुष्का	04 वर्ष	लड़की	श्रीमति संतोषी
9	नेहा	04 वर्ष	लड़की	श्रीमति तीजमति
10	मयंक	2½ वर्ष	लड़का	श्रीमति वंदना
11	आरती	5½ वर्ष	लड़की	श्रीमति नीरा
12	अंजली	2½ वर्ष	लड़की	श्रीमति नीरा
13	कमलेश	06 वर्ष	लड़का	श्रीमति श्यामबाई
14	करण	05 वर्ष	लड़का	श्रीमति श्यामबाई
15	त्रियंका	05 वर्ष	लड़की	श्रीमति राधादेवी
16	छोटू	03 वर्ष	लड़का	श्रीमति राधादेवी
17	आयुषी	1½ वर्ष	लड़की	श्रीमति हीमी एक्का
18	आकांक्षा	02 वर्ष	लड़की	श्रीमति अंजली
19	दीप्ता	01 वर्ष	लड़की	श्रीमति कुंवरिया चाई
20	इंचल	01 वर्ष	लड़की	श्रीमति कल्याणी
21	रुधि	01 वर्ष	लड़की	श्रीमति गीताबाई
22	नीलकण्ठ	01 वर्ष	लड़का	श्रीमति जमुनाबाई
23	दुर्गेश्वरी	14 माह	लड़की	श्रीमति लीलाबाई
24	गोपाल	05 माह	लड़का	श्रीमति दुर्गा
25	गीताजली	02 माह	लड़की	श्रीमति रेशमा

14. ऐसा परिवार जो बंदी हो (पूरा परिवार दहेज प्रताड़ना) :- निरंक है।
 15. जेल में मृत्यु :- निरंक है।
 16. जेल में हिंसा :- निरंक है।
 17. जेल के स्टाफ :- जानकारी निम्नानुसार है।

केंद्रीय जेल विलासपुर

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	जेल अधीक्षक	01	01	—
2.	मेडिकल ऑफिसर (पूर्णकालीन)	01	01	—
3.	विधि अधिकारी	01	—	01
4.	उप जेल अधीक्षक	02	01	01
5.	सहायक जेल अधीक्षक	16	05	11
6.	वरि. परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी	01	—	01
7.	परिवीक्षा अधिकारी	01	01	—
8.	उप अधीक्षक उद्योग	01	01	—
9.	वरिष्ठ बुनाई प्रशिक्षक	01	—	01
10.	वरिष्ठ बड़ई प्रशिक्षक	01	01	—
11.	सिलाई प्रशिक्षक	01	01	—
12.	बड़ई प्रशिक्षक	01	—	01
13.	बुनाई प्रशिक्षक	01	—	01
14.	लेखापाल	02	—	02
15.	सहायक ग्रेड-02	01	01	—
16.	सहायक ग्रेड-03	01	—	01
17.	प्रेस फोरमेन	01	—	01
18.	प्रेस मशीन मैन	01	—	01
19.	प्रेस कम्पोजिटर	01	—	01
20.	लेब टेक्नीशियन	01	—	01
21.	फार्मासिस्ट ग्रेड-02	03	02	01
22.	शिक्षक	01	01	—
23.	मैट्रन	01	01	—
24.	प्रमुख मुख्य प्रहरी	02	—	02
25.	मुख्य प्रहरी	16	16	—
26.	प्रहरी	125	41	84
27.	रिजर्व गार्ड मुख्य प्रहरी	01	01	—
28.	रिजर्व गार्ड प्रहरी	04	—	04
29.	व्यायाम प्रशिक्षक	01	—	01
30.	वाहन चालक (वरिष्ठ श्रेणी)	01	01	—
	वाहन चालक (कनिष्ठ श्रेणी)	01	01	—
31.	मृत्यु	02	02	—
32.	स्वीपर	05	05	—
33.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	01	—	01
34.	परिचारिका	01	—	01
	योग	202	84	118

18. वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था :- वर्तमान में उपलब्ध अधिकारी वर्ग तथा प्रहरीयों से निरंतर जेल की सुरक्षा एवं नियंत्रण बनाया गया है। मुख्य प्रहरी तथा प्रहरी वर्ग की ड्यूटी दिन एवं रात्रि में बदल-बदल कर जेल के अंदर एवं लगाई जाती है।

19. पैरोल :- केन्द्रीय जेल विलासपुर में वर्ष 2013-2014 में परिरूद्ध 177 बंदियों को अस्थाई मुक्ति का लाभ प्राप्त हो चुका है।
20. नई सुविधायें :- निरंक है।
21. जेल अस्पताल में चिकित्सक एवं रिक्त पद :- केन्द्रीय जेल विलासपुर में 01 चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृत है। जो कि मरे हुए है। रिक्त पदों की जानकारी निरंक है।
22. जल व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था :- विन्दु क्रमांक 09 से संबंधित है।
23. शिक्षा :- केन्द्रीय जेल विलासपुर में विगत वर्ष 2013-14 शिक्षा सत्र की जानकारी निम्नानुसार है -

कक्षा	दर्ज संख्या		योग
	महिला	पुरुष	
पहली	16	28	44
दूसरी	08	23	31
तीसरी	06	21	27
चौथी	03	29	32
पाचवी	02	31	33
छठवी	05	30	35
सातवी	03	19	22
आठवी	02	25	27
कुल योग	45	206	251

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बंदियों की जानकारी

1. बी.ए. प्रथम - 04 बंदी
 2. बी.काम. तृतीय - 01 बंदी
 3. बी.ए. द्वितीय - 02 बंदी
 4. एम.ए. पूर्व - 05 बंदी
- कुल योग - 12 बंदी

इंदिरागांधी मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के अंतर्गत बी.पी.पी. परिसरार्थी बंदियों की संख्या -

पुरुष बंदी	महिला बंदी	योग
402	63	465

साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहे बंदियों की संख्या -

पुरुष बंदी	महिला बंदी	योग
202	25	227

24. मनोरंजन :- केन्द्रीय जेल विलासपुर में बंदियों के मनोरंजन हेतु टी.वी., कैरम, शतरंज, लूडो, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिका की व्यवस्था उपलब्ध है।
25. भ्रमणकर्ता :- विन्दु क्रमांक 29 एवं 32 में अंकित है।
26. कानूनी सहायता :- केन्द्रीय जेल विलासपुर में प्ली बारगेनिंग शिविर, विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से कानूनी सहायत बंदियों को दी जाती है। साथ ही जेल के अंदर ही लीगल एड क्लीनिक की स्थापना बंदियों हेतु की गई है।

27. स्वयं सेवी समूहों का जेल में भागीदारी - निरक है।

28. रोजगार स्वयं प्रशिक्षण संविदा

पुरुष बंदियों - को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं पुनर्वास की दिशा में जेल में संचालित उद्योग- आफसेट प्रिटिंग प्रेस स्क्रॉन प्रिटिंग वाशिंग पावर उद्योग, सिलाई उद्योग, काष्ठकला उद्योग, स्टील फनीचर उद्योग, मसाला उद्योग, नायलोन डोरी उद्योग, कढ़ाई बुनाई प्रशिक्षण, टेराकोटा प्रशिक्षण, मोमवत्ती आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाकर बंदियों को प्रशिक्षण दिया जाकर प्रशिक्षित किया जा रहा है।

महिला बंदियों - को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं पुनर्वास की दिशा में जेल में संचालित उद्योग- पापड़ बनाने का प्रशिक्षण, कढ़ाई बुनाई प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, मोमवत्ती बनाने का प्रशिक्षण, अचार बनाने का प्रशिक्षण, राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया जाकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। ताकि बंदी जेल से छूटने के बाद अपने स्वयं का व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सम्यक् नागरिक की भूमिका अदा कर अपना जीवन यापन कर सके।

29. अधिकारियों के द्वारा भ्रमण -

क्र.	निरीक्षणकर्ता का नाम, पदनाम	निरीक्षण दिनांक
01	श्रीमान गिरिधारी नायक (आई पी एस) अति महानिदेशक जेल एवं सुधारालय सेवाएँ छत्तीसगढ़ रायपुर	04.01.2013
02	श्रीमान गिरिधारी नायक (आई पी एस) अति महानिदेशक जेल एवं सुधारालय सेवाएँ छत्तीसगढ़ रायपुर	16.02.2013
03	श्रीमान बी.पी. चौधरी उप पुलिस महानिरीक्षक जेल एवं सुधारालय सेवाएँ छ.ग. रायपुर	27.02.2013
04	श्रीमान गिरिधारी नायक (आई पी एस) अति महानिदेशक जेल एवं सुधारालय सेवाएँ छत्तीसगढ़ रायपुर	06.03.2013
05	श्रीमान गिरिधारी नायक (आई पी एस) अति महानिदेशक जेल एवं सुधारालय सेवाएँ छत्तीसगढ़ रायपुर	23.04.2013
06	श्रीमान ठाकुर रामसिंह जिला दण्डाधिकारी विलासपुर श्री एन.के. टेकाम अति जिला दण्डाधिकारी विलासपुर	18.05.2013
07	श्रीमान गिरिधारी नायक (आई पी एस) अति महानिदेशक जेल एवं सुधारालय सेवाएँ छ.ग. रायपुर	14.06.2013
08	श्रीमान गिरिधारी नायक (आई पी एस) महानिदेशक जेल एवं सुधारालय सेवाएँ छत्तीसगढ़ रायपुर	03.07.2013
09	श्रीमान गीतम चौरहिया जिला एवं सत्र न्यायाधीश विलासपुर श्रीमान सुनील नायडू अति जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान आमप्रकाश चौहान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी	23.06.2013
10	श्रीमान ठाकुर रामसिंह जिला दण्डाधिकारी विलासपुर श्री आर.एल. डागी पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश्वर शर्मा अति कलेक्टर श्री सजय कन्नौज एस.डी.एम.	30.06.2013
11	श्रीमान गिरिधारी नायक (आई पी एस) महानिदेशक जेल एवं सुधारालय सेवाएँ छत्तीसगढ़ रायपुर	03.07.2013
12	माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान सुनील कुमार सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विलासपुर	28.08.2013
13	श्रीमान गीतम चौरहिया जिला एवं सत्र न्यायाधीश विलासपुर श्रीमान ए.के. सिधल अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान आमप्रकाश सिंह चौहान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विलासपुर	28.08.2013

14.	श्री के.के. गुप्ता, उप महानिरीक्षक जेल एवं सुधारालय सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर	16/17.09.2013
15.	प्रो.एस. नारायण, स्पेशल रैपोर्टिंग, राष्ट्रीय मानव अधिकार नई दिल्ली एवं श्रीमान एस.एल. रात्रे, प्रभासी कमिश्नर विलासपुर संभाग विलासपुर	18.09.2013
16.	श्रीमान ठाकुर रामसिंह, जिला दण्डाधिकारी विलासपुर श्री बी.एन. मीणा, पुलिस अधीक्षक विलासपुर श्री जे.आर. ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विलासपुर श्रीमती गधुलिका सिंह, सी.एस.पी. सिविल लाईन विलासपुर श्री हरीश यादव, सी.एस.पी. कोतवाली विलासपुर	01.10.2013
17.	श्रीमान गिरिधारी नायक (आई.पी.एस.) महानिदेशक जेल एवं सुधारालय सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर	14.11.2013
18.	श्रीमान एस.एल. रात्रे, प्रभासी कमिश्नर विलासपुर संभाग विलासपुर	26.12.2013
19.	श्री राजेश मिश्रा, पुलिस महानिरीक्षक, विलासपुर रेंज विलासपुर श्री ठाकुर रामसिंह, जिला दण्डाधिकारी विलासपुर श्री एन.के. टेकाम, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी विलासपुर श्री बी.एन. मीणा, पुलिस अधीक्षक विलासपुर श्री एस.आर. ठाकुर, एडिशनल एस.पी. विलासपुर	24.01.2014
20.	डॉ० के.के. गुप्ता, उप महानिरीक्षक जेल एवं सुधारालय सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर	24.01.2014
21.	सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी (आई.एस.) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विलासपुर	20.02.2014

30. भ्रमण कर्ताओं से मीटिंग :- निरक है।
31. जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था :- वर्तमान में उपलब्ध अधिकारी वर्ग तथा प्रहरियों से निरंतर जेल की सुरक्षा एवं नियंत्रण बनाया गया है। मुख्य प्रहरी तथा प्रहरी वर्ग की ड्यूटी दिन एवं रात्रि में बदल-बदल कर जेल के अंदर एवं लगाई जाती है।
32. निरीक्षण :- केन्द्रीय जेल विलासपुर की जानकारी निम्नानुसार है -

क्र.	निरीक्षणकर्ता का नाम, पदनाम	निरीक्षण दिनांक
01.	श्रीमान गिरिधारी नायक (आई.पी.एस.) अति. महानिदेशक जेल एवं सुधारालय सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर	04.01.2013
02.	श्रीमान गिरिधारी नायक (आई.पी.एस.) अति. महानिदेशक जेल एवं सुधारालय सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर	16.02.2013
03.	श्रीमान पी.पी. पोषाय उप पुलिस महानिरीक्षक जेल एवं सुधारालय सेवाएं, छ.ग. रायपुर	27.02.2013
04.	श्रीमान गिरिधारी नायक (आई.पी.एस.) अति. महानिदेशक जेल एवं सुधारालय सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर	06.03.2013
05.	श्रीमान गिरिधारी नायक (आई.पी.एस.) अति. महानिदेशक जेल एवं सुधारालय सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर	23.04.2013
06.	श्रीमान ठाकुर रामसिंह, जिला दण्डाधिकारी विलासपुर श्री एन.के. टेकाम, अति. जिला दण्डाधिकारी विलासपुर	18.05.2013
07.	श्रीमान गिरिधारी नायक (आई.पी.एस.) अति. महानिदेशक जेल एवं सुधारालय सेवाएं, छ.ग. रायपुर	14.06.2013

08.	श्रीमान गिरिधारी नायक (आई.पी.एस.) महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर.	03.07.2013
09.	श्रीमान गौतम चौरडिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-विलासपुर श्रीमान मनीष नायडू-अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान ओमप्रकाश चौहान-मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी	23.06.2013
10.	श्रीमान ठाकुर रामसिंह, जिला दण्डाधिकारी विलासपुर श्री आर.एल. डांगी-पुलिस अधीक्षक, श्री रणवीर शर्मा-अति. कलेक्टर, श्री संजय कन्वीजे-एस.डी.एम.	30.06.2013
11.	श्रीमान गिरिधारी नायक (आई.पी.एस.) महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर	03.07.2013
12.	माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान सुनील कुमार सिन्हा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विलासपुर.	28.08.2013
13.	श्रीमान गौतम चौरडिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश विलासपुर श्रीमान ए.के. सिंघल, अध्यक्ष, विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान ओमप्रकाश सिंह चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विलासपुर	28.08.2013
14.	श्री के.के. गुप्ता, उप महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर	16/17.09.2013
15.	प्रो.एस. नारायण, स्पेशल रीपोर्टर, राष्ट्रीय मानव अधिकार नई दिल्ली एवं श्रीमान एस.एल. रात्रे, प्रभारी कमिश्नर विलासपुर संभाग विलासपुर	18.09.2013
16.	श्रीमान ठाकुर रामसिंह, जिला दण्डाधिकारी विलासपुर श्री वी.एन. मीना, पुलिस अधीक्षक विलासपुर श्री जे.आर. ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विलासपुर श्रीमती मधुलिका सिंह, सी.एस.पी. सिविल लाईन विलासपुर श्री हरीश यादव, सी.एस.पी. कौतवाली विलासपुर	01.10.2013
17.	श्रीमान गिरिधारी नायक (आई.पी.एस.) महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर.	14.11.2013
18.	श्रीमान एस.एल. रात्रे, प्रभारी कमिश्नर विलासपुर संभाग विलासपुर	26.12.2013
19.	श्री राजेश मिश्रा, पुलिस महानिरीक्षक, विलासपुर रेन्ज विलासपुर, श्री ठाकुर रामसिंह, जिला दण्डाधिकारी विलासपुर, श्री एन.के. टेकाम, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी विलासपुर, श्री वी.एन. मीणा, पुलिस अधीक्षक विलासपुर, श्री एस.आर. ठाकुर, एडिशनल एस.पी. विलासपुर.	24.01.2014
20.	डॉ० के.के. गुप्ता, उप महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर	24.01.2014
21.	सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी (आई.ए.एस.), कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विलासपुर	20.02.2014

33. समय पूर्व रिहाई - निरंक है।

34. जेल में निर्माण कार्य (रोड) :- निरंक है।
 35. बंदियों का वर्गीकरण :-

दिनांक 21.02.2014 को परिरुद्ध बंदियों की अद्यतन स्थिति

कैदी	पुरुष	विदेशी बंदी	किन्नर	महिला	योग
सक्त कैदी	1758	00	01	89	1848
साधारण कैदी	33	00	00	00	33
विचाराधीन बंदी	742	01	00	68	811
सिविल बंदी	03	00	00	00	03
मृत्यु दण्डित बंदी	01	00	00	00	01
योग	2537	01	01	157	2696
					+ 25 बच्चे

36. बंदियों की स्थिति :- केन्द्रीय जेल विलासपुर में बंदियों की स्थिति सामान्य है।
 37. विद्युत व्यवस्था जेल में एवं बैरकों में :- सफ़्त बैरकों में एवं जेल के अंदर एवं बाहर विद्युत व्यवस्था पर्याप्त है।
 38. पुस्तकालय :- केन्द्रीय जेल विलासपुर में बंदियों हेतु एक पुस्तकालय की व्यवस्था है। जिसमें सभी प्रकार की धार्मिक एवं अन्य पुस्तके उपलब्ध है।
 39. योग :- समय-समय पर स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से बंदियों हेतु योग शिविर का आयोजन कर बंदियों को योगा में प्रशिक्षित किया जाता है। एवं प्रशिक्षित बंदियों द्वारा प्रतिदिन अन्य बंदियों को योगाभ्यास कराया जाता है।
 40. लोक अदालत, कानूनी सहायता :- प्रत्येक माह के प्रत्येक शनिवार को जेल अदालत का आयोजन किया जाता है एवं कानूनी सहायता के संबंध में जानकारी बंदियों को दी जाती है।
 41. जेल बजट :-

केन्द्रीय जेल विलासपुर

1.	वर्तमान बजट में प्रावधानित राशि
प्लान	निरंक
नान-प्लान	
1. 01 येतन भत्ते आदि	3,31,45,557.00
2. 020 त्यौहार अग्रिम	9,00,000.00
3. 022 अनाज अग्रिम	2,00,000.00
4. 03 यात्रा भत्ता	1,03,000.00
5. 04 कार्यालय व्यय	26,43,785.00
6. 013 किराया महसूल कर	25,000.00
7. 25 सामग्री तथा पुर्तियों	5,81,02,307.00
8. 001 गण्डार तथा कच्चा माल	45,00,000.00
9. 89 परिवहन व्यय	19,090.00
10. 24 अनुरक्षण कार्य (001 मोटर गाड़ी)	65,000.00
11. 24 अनुरक्षण कार्य (004आ.म.मर.व्यय)	---
12. 24 अनुरक्षण कार्य (012 अन्य अनु.कार्य व्यय)	---
13. 28 मशीन उप. (006 अन्य व्यय)	4,29,750.00
14. 27 लघु निर्माण (008 अन्य लघु निर्माण व्यय)	96,800.00
नान-प्लान के अधीन प्राप्त बजट का कुल योग	10,02,30,289.00

42. जेल में मृत्यु :- निरंक है।
43. लघु उद्योग एवं कूटीर उद्योग :- केन्द्रीय जेल विलासपुर पुरुष बंदियों हेतु आफसेट प्रिंटिंग प्रेस, स्क्रीन प्रिंटिंग, वाशिंग पावडर उद्योग, सिलाई उद्योग, काष्ठकला उद्योग, स्टील फर्नीचर उद्योग, मसाला उद्योग, नायलोन डोरी उद्योग, कढ़ाई बुनाई प्रशिक्षण, टेराकोटा प्रशिक्षण, मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण एवं महिला बंदियों हेतु पापड़ बनाने का प्रशिक्षण, कढ़ाई बुनाई प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण, अचार बनाने का प्रशिक्षण, राखी बनाने का प्रशिक्षण, कोशा से घागा निकालने का प्रशिक्षण आदि।
44. साक्षात्कार :- निरंक है।
45. गौशाला :- केन्द्रीय जेल विलासपुर में गौशाला संचालित है।
46. बगीचा :- निरंक है।
47. सांस्कृतिक कार्यक्रम :- प्रत्येक धार्मिक पर्वों आदि में बंदियों हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
48. खेलकूद :- इंडोर गेम के अंतर्गत कैरम, शतरंज, लूडो आदि
49. धार्मिक क्रियाकलाप :- सभी धर्म के बंदियों के उनके धर्म अनुसार पूजा पाठ आदि की व्यवस्था जेल प्रबन्धन द्वारा किया जाता है।
50. टी.वी./समाचार पत्र :- टी.वी./समाचार पत्र बंदियों हेतु उपलब्ध है।
51. रोजगार संबंधी प्रशिक्षण :- पुरुष बंदियों -को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं पुनर्वास की दिशा में जेल में संचालित उद्योग- आफसेट प्रिंटिंग प्रेस, स्क्रीन प्रिंटिंग, वाशिंग पावडर उद्योग, सिलाई उद्योग, काष्ठकला उद्योग, स्टील फर्नीचर उद्योग, मसाला उद्योग, नायलोन डोरी उद्योग, कढ़ाई बुनाई प्रशिक्षण, टेराकोटा प्रशिक्षण, मोमबत्ती आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाकर बंदियों को प्रशिक्षण दिया जाकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। महिला बंदियों -को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं पुनर्वास की दिशा में जेल में संचालित उद्योग पापड़ बनाने का प्रशिक्षण, कढ़ाई बुनाई प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण, अचार बनाने का प्रशिक्षण, राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया जाकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। ताकि बंदी जेल से छूटने के बाद अपने स्वयं का व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सभ्य नागरिक की भूमिका अदा कर अपना जीवन यापन कर सकें।
52. अवलोकन एवं सुझाव -

Observations

1. It is evident from the above table that Bilaspur Jail is overcrowded, almost three times more than its capacity.
2. Proper toilet and drinking water inside the hall in which prisoners and under trials are kept deserve commissions consideration. Toilets are dirty and drinking water is kept inside in plastic buckets. In my last report I mentioned that there were plastic buckets filled with water and also earthen pots were kept outside the hall and in this visit it was found that these buckets are now kept inside the hall. Merely change in place of keeping buckets are not-going to provide convicts and under trials safe drinking water.
3. Women jail inmate said that they want Female legal officers in this jail so that they way share their problem with her frankly. They said they are unable to share their problem with male legal officers at the top of this the post of legal officers is lying vacant in this jail.

Staff of the Jail

There are 202 different sanctioned posts in this jail in which only 84 are filled, remaining 118 posts are vacant. Vacant posts are Deputy jail superintendent, and Assistant jail superintendent which are essential posts to run the jail systematically and scientifically, this deserves attention of the commission.

4. There are 48 mentally sick prisoners in this jail but there is no psychiatrist in this jail. This deserves attention of the commission.
5. The prisoners, especially the under trail prisoners were demanding for their right to vote in Elections. They said that whene under trail politicians can contest election then why they are being denied to their rights to vote.
6. The Board of the Bilaspur central jail does not meet regularly.
7. A Nigerian prisoner Mr. Victor uche ojanaka said that then is lack of coordination between jail authorities and police administration because on may times he could not be produced in the court in the absence of police. Lack of coordination between jail authorities police and districts administration deserve commission's attention.
8. The vocational programmes run by the jail needs to be closely monitored to enable the prisoners to draw 'real' benefits from these programmes.


Juvenile Home (बाल संपेक्षण गृह) Bilaspur

Visited Juvenile Home of Bilaspur on 22nd Feb. 2013.

This Juvenile Home was established in 1982. Children of Bilaspur, Champa, Kobra, mungeli and Jangir are kept here.

Inmates are kept in the first floor. Training of the inmates are also done in the first floor. Office, Kitchen, Board Room etc. are in the ground floor.

Mr. S.M. Timothy is the administrative superintendent of this juvenile Home. In the following pages details provided by Mr. S.M. Timothy are given:



// सम्प्रेक्षण गृह विलासपुर की स्थापना गतिविधियों की संक्षिप्त टीप //

1. स्थापना :-

सम्प्रेक्षण गृह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के तहत पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। इस संस्था में 18 वर्ष से कम आयु के किशोर, किशोर न्याय बोर्ड के आदेश से प्रवेशित होते हैं। अपचारी किशोर प्रकरणों के निराकृत होने तक अल्प अवधि के लिए नरूद्ध रहते हैं।

2. भवन की स्थिति :-

संस्था का स्वयं का भवन है, जिसमें कार्यालय भी लगता है। किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के तहत किशोरों को 7 से 12, 12 से 16, 16 से 18 वर्ष की आयु संवर्ग के अनुसार शयन-कक्ष की व्यवस्था है। भवन के बाहर संस्था परिसर में न्यायलयीन कक्ष होना आवश्यक है। भवन में अलग से भोजन कक्ष की व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हाऊस मास्टर, प्रशिक्षक, मैट्रन एवं चौकीदारों के लिए आवासीय व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है।

3. किशोर न्याय बोर्ड :-

वर्तमान में किशोर न्याय बोर्ड में निम्न सदस्य हैं :-

1. माननीय कुमारी चित्रलेखा सोनवानी प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड विलासपुर।
 2. श्रीमती मीना बक्शी सदस्य किशोर न्याय बोर्ड विलासपुर।
 3. श्रीमती शमशाद गुल कुरैशी सदस्य किशोर न्याय बोर्ड विलासपुर।
- उपरोक्त सदस्यों के द्वारा किशोर न्याय बोर्ड का कार्य समपादित किया जा रहा है। वर्तमान में जनवरी 2014 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या 1221 है।

4. चिकित्सा व्यवस्था :-

संस्था में अंश कालीन चिकित्सक डा.बी.आर.नन्दा पदस्थ है।

श्री नन्दा समय-समय पर अंतःवासी बालको का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं, उनके द्वारा लिखी गई दवाईयों को संस्था द्वारा क्रय कर अंतःवासी बालकों को उपलब्ध करायी जाती है। संस्था में किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं है।

5. भोजन व्यवस्था :-

शासन द्वारा निर्धारित मात्रा अनुसार अंतःवासी बालकों को भोजन एवं चाय-नास्ता आदि दिया जाता है। संस्था में राष्ट्रीय पर्व तथा धार्मिक त्योहारों में विशेष भोजन की व्यवस्था की जाती है।

वस्त्र विस्तार अतवासी किशोरी को वर्ष में 03 जोड़ी इस तीन जोड़ी पेट तीन जोड़ी शर्ट अंडर वियर 4 जोड़ी बेल्ट बनियान 4 जोड़ी दो टैबल प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। साथ ही शयन हेतु गद्दा, तकिया, कबल, चादर दसी आदि प्रदान किया जाता है।

7. शिक्षण - संस्था में प्रवेशित किशोरी को संस्था में आने के पूर्व की स्थिति के आधार पर शिक्षा प्रदान किया जाता है। कक्षा 5वीं से 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में उनकी योग्यता के आधार पर सम्मिलित किया जाता है। उनके अनिच्छा रहने की अवधि के आधार पर बोर्ड की परीक्षाओं को छोड़कर संस्थागत शिक्षा (स्कूलों में निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर) प्रदान की जाती है। शिक्षा विभाग द्वारा दो शिक्षिका श्रीमती सीता तिवारी एवं श्रीमती सुनीता शक्ला को सम्बद्ध किया गया है तथा विभाग के द्वारा श्रीमती सीता तिवारी को शिक्षण कार्य हेतु पदस्थ किया गया है। तीनों शिक्षिकाओं के द्वारा शिक्षण का कार्य संपादित किया जा रहा है।

8. प्रशिक्षण - संस्था में रोजगारी मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम सिलाई, वेग पर्स मैकिंग, फाईल पेड फाईल कट्टर, कम्प्यूटर जुलाई 2010 से संगीत प्रशिक्षण भी संचालित है।

9. खेलकूद एवं मनोरंजन - खेलकूद एवं मनोरंजन के साधन संस्था में कलर टी.वी.सी.डी. एवं खेल के अंतर्गत केरम बार्ड, लुंडा, घायनिस, चकर आदि सामग्री खेलकूद एवं मनोरंजन हेतु उपलब्ध है। अतवासी बालकों को खेलकूद एवं मनोरंजन हेतु निर्धारित समय में व्यवस्था की जाती है। माह दिसम्बर 2013 में संस्था द्वारा वार्षिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये थे।

10. स्टाफ की जानकारी -

क्र.	पदनाम	कर्मचारी का नाम	कार्यालय में कम से पदस्थ है
1.	प्रभारी अधीक्षक	श्रीमती सी चन्द्राकर	08.08.2012
2.	प्रशासनिक प्रभारी अधीक्षक	श्री एस एम तिमोथी	08.08.2012
	परिवेक्षा अधिकारी	श्री एस एम तिमोथी	9.9.2008
3.	कॉन्सलर	श्री जी एल चौहान	8.9.2008
4.	लेखापाल	श्री यू एस दुबे	09.08.2011
5.	मैट्रन	रिक्त	
6.	शिक्षिका	श्रीमती सीता तिवारी	03.08.2010
7.	प्रशिक्षक	रिक्त	
8.	हॉटस मास्टर	श्रीमती सरस्वती रामेश्री	13.10.2008
9.	सहायक गेट 3	श्री दीपक कुमार नाकी	30.08.2011
10.	भूतल	श्री रामशरण तिवारी	21.08.2001
11.	रसोइया	श्रीमती विन्ता तिवारी	15.05.1985
12.	रसोइया	श्रीमती लता पटेल	20.06.2008
13.	केयर टेकर	श्री तिथ्य राम	23.07.2005
14.		श्रीमती कुमारी बांड	01.08.2006
15.		श्री जगजीवन दास महत	05.07.2005
16.	चीकीदार	श्री मनोज कुमार डांगोर	20.08.2008
17.	माती	रिक्त	
18.	स्वीपर	श्री मनीष कुमार (कलेक्टर दर)	24.11.2010
19.	स्वच्छक	श्री मुरली निमलकर (कलेक्टर दर)	29.08.2011
20.	अपकालीन चिकि	डा. वी. आर. नदा	30.10.98

अधीक्षक संप्रेक्षण गृह बिलासपुर (छ.ग.)
बालकों के प्रवेश मुक्ति संबंधी जानकारी

वर्तमान में कुल 40 अपचारी किशोर निरुद्ध है।

अपचारी किशोरों का विवरण निम्नानुसार है :-

अपराध के अनुसार		जिले के अनुसार किशोरों की संख्या			
		बिलासपुर	मुंगेली	कोरबा	जांजगीर-पांपा
1.	हत्या	15 किशोर			
2.	चोरी	14 किशोर	25	08	03
3.	बलात्कार	10 किशोर			
4.	अन्य	01 किशोर			
कुल योग		40 किशोर			

अवधि के अनुसार

3 माह से कम -	3 से 6 माह -	6 माह से 1 वर्ष -	1 वर्ष से अधिक
20	06	05	09

आयु संवर्ग के अनुसार

6 से 9 -	10 से 12 -	13 से 16 -	16 से 18
0	01	08	31

11. अन्य :-

अंतःवासी किशोरों को पूर्ण रूप से मेडिकल सुविधा, नहाने का 1 बट्टी कपड़ा धोने का 2 बट्टी साबुन प्रतिमाह, मंजन, नारियल तेल आदि निर्धारित मात्रा में प्रदाय किया जाता है। तथा साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है।

संस्था में अंतःवासी किशोरों को पारिवारिक वातावरण दिया जाता है। सामाजिक संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय तथा धार्मिक पर्व में अंतःवासी किशोरों के मध्य आकर विभिन्न सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जिससे उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा तथा जी.एस. मिशन राजकिशोर नगर द्वारा अध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा पर व्याख्यान/काउन्सलिंग की साप्ताहिक सेवाओं द्वारा नैतिक सदाचारण व सद्व्यवहार की शिक्षा प्रदान की जाती है।

रक्षा बंधन पर्व पर बाल संरक्षण गृह के बालिकाओं द्वारा एवं स्वयं सेवी संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संस्था में कराये जाते हैं।

संस्था के अंतःवासी बालकों को उनकी कुप्रवृत्ति को त्याग कर स्वतंत्र एवं आत्म निर्भर बनाने हेतु कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

13. आवश्यकताएँ :-

संस्था परिसर में स्टॉफ क्वार्टरों का होना नितांत आवश्यक है जिससे बालकों की सुरक्षा एवं उनके पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण परिसर में निर्मित होने से बालकों के व्यक्तित्व में परिवर्तन की ज्यादा संभावना बनेगी। रिक्त पदों की पूर्ति अतिशीघ्र होना आवश्यक है जिससे बालकों एवं अन्य व्यवस्थाएँ शिक्षण-प्रशिक्षण सुचारु रूप से चल सकें।

बरसात एवं अन्य दिनों में संस्था परिसर का पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड एवं अन्य कार्यों में आवागमन की असुविधा होती है। इस हेतु प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा सड़क निर्माण तथा पानी निकासी हेतु बार-बार निर्देश दिये जा रहे हैं। इस संबंध में आयुक्त नगर निगम बिलासपुर को पत्र लिखा गया है। जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है।

26

अधीक्षक सम्प्रेक्षण गृह विलासपुर (छ.ग.)
खाद्यान्न संबंधी निर्धारित तालिका

क्र.	सामग्री का नाम	निर्धारित मात्रा	विशेष
1.	आटा	300 ग्राम	प्रति बालक प्रतिदिन
2.	चावल	300 ग्राम	प्रति बालक प्रतिदिन
3.	दाल (तुअर)	100 ग्राम	प्रति बालक प्रतिदिन
4.	अन्य दाल	100 ग्राम	प्रति बालक प्रतिदिन
5.	सब्जी	300 ग्राम	प्रति बालक प्रतिदिन
6.	नाश्ता (चना, पोहा, मुंगफल्ली आदि)	50 ग्राम	प्रति बालक प्रतिदिन
7.	तेल	20 से 30 ग्राम	प्रति बालक प्रतिदिन
8.	मसाले	10 ग्राम	प्रति बालक प्रतिदिन
9.	दूध	50 मी. लीटर	प्रति बालक प्रतिदिन
10.	नमक	15 ग्राम	प्रति बालक प्रतिदिन
11.	चाय	05 ग्राम	प्रति बालक प्रतिदिन
12.	शक्कर	25 ग्राम	प्रति बालक प्रतिदिन
13.	गैस सिलेन्डर	आवश्यकता अनु.	प्रति बालक प्रतिदिन
14.	मंजन	50 ग्राम	प्रति बालक प्रतिमाह
15.	लगाने का तेल	100 ग्राम	प्रति बालक प्रतिमाह
16.	साबुन नहाने का	1 बट्टी	प्रति बालक प्रतिमाह
17.	साबुन कपड़ा धोने का	2 बट्टी	प्रति बालक प्रतिमाह

कपड़े एवं ड्रेस का निर्धारण संबंधी जानकारी

क्र.	वस्त्र का विवरण	संख्या	प्रतिवर्ष
1.	झाफ पेट	3 नग	प्रतिवर्ष
2.	झाफ शर्ट	3 नग	प्रतिवर्ष
3.	घड़ी	4 नग	प्रतिवर्ष
4.	बनियान	4 नग	प्रतिवर्ष
5.	टाबेल	2 नग	प्रतिवर्ष
6.	घादर	3 नग	प्रतिवर्ष
7.	बिस्तर दरी	1 नग	प्रति 3 वर्ष
8.	बिस्तर गद्दा	1 नग	प्रति 3 वर्ष
9.	तकिया	1 नग	प्रतिवर्ष
10.	कबल	1 नग	प्रतिवर्ष ठंठ के मौसम में
11.	ऊनी स्वेटर	1 नग	प्रतिवर्ष ठंठ के मौसम में

अधीक्षक,
सम्प्रेक्षण गृह
विलासपुर

Observation

1. Interacted in depth with two inmates Mr. Shivnath Patel, 17 years of age of Pendra and Neeku kashayap of the same age group, are here for about last two years and are under IPC 302.

Both of them told that child trafficking is common at this center. Mr. Timothy was also questioned on this issue but he did not say anything Mr. Timothy was with me throughout my visit.

2. Inmates of the juvenile Home are not happy with the food being served to them
3. Safe drinking water and toilet deserve commission's attention.
4. Vocational and training programmes ought to be designed according to 'Felt need' and not the routine one.
5. Juvenile home Bilaspur , may kindly be placed under the direct control of the Districts Magistrate and an executive magistrate be posted here at least for 2 years to improve it because Judicial Magistrate is over burdened with Judicial work and feel difficulty in giving time to Juvenile Home.

Destitute children home under JJB, CWC in Bilaspur District.

Mrs. Mamta Tiwari is the incharge of this home Mrs. Tiwari said child trafficking is very high in this district. Pendra happens to be a city in which highest trafficking of child takes place. Only girl child ranging between two years to eighteen years were found in this center.

Observation

Generally girls living in this home are unhappy and have all kind of complain/request.

1. Education/Vocational programme may be designed as per the 'real need' and aspirations.
2. Food be nutritious, healthy and seasonal.
3. There should be proper and timely cooperation and coordination in different departments/wings of the districts administrations in the interest of efficient children home.
4. The incharge of the home should be active and motherly.

Health in Bilaspur

I visited Chhattisgarh institute of Medical Science Dr. Cl. R. Thakkar, retired from army Medical core, joined here as Director only in last week. Dr. Chaudhary HOD in Surgery and head of Nursing were with me during my visit. CIMS was inaugurated in 2001. This was a districts Hospital before getting it converted to CIMS.

10 Batches has passed out.

They have difficulty in getting intern as there is no P.G. course in CIMS.

Observations

1. During the visit it has been observed that the Hospitals and the wards are dusty, dirty, spitted on the wall everywhere which may lead to infections to the patients.
2. Cleanliness and proper disinfection of the ward and the Hospitals is essential.
3. While visiting the Medical ward it has been observed the indoor patients are advised and forced to buy Medicines from outside markets. One Mrs. Sushmati wife of Sawan and Mr. Radhe lal told that they bought medicine prescribed by Dr. Mrs. Yashmin Khan and advised by Nurse Mrs. Sadhana Jain to buy medicine from open market for which. Mrs. Sushmati said that she sold her Gold ring to buy the medicine in the presence of Cl. Dr. R. Thakkar, Director of Chhattisgarh institute of Medicals Sciences and Dr. Chaudhary HOD Surgery of CIMS. The state Government has given clear direction that all patients specially the poor patients be given all medicines and diet in the hospital free of cost by the hospital.
4. The vacant post of CIMS must be filled in on urgent basis.
5. The Hospital should have a constructions like Rain Basera for the accompanying person of the patient. This will help in keeping hospital clean.
6. It has been reported that the waiting time from registration to admission in the hospital is almost two hours. In the interest of providing immediate and urgent medical facility this waiting time needs to be minimized.

Bonded Labour

Bonded Labour is present in the district but there is no such list. I tried to find out personally but could not locate. In some villages, Sarpanch said that they also know that bonded labour is present but neither the master nor the labourer wants to be identified as bonded labour for obvious reasons. This requires commissioning of a research project on this issue in the state in collaboration with the state Government.

Following is the list of freed bonded labourers of the districts

क्रमांक	अवमुक्त होकर आये विकासखण्ड कोटा के बंधक श्रमिकों की सूची वर्ष 2000 से वर्ष 2013 तक							
क्र०	मुक्त किये/कराये गये बंधुआ मजदूर का नाम/पिता/पति का नाम	मुक्ति दिनांक	स्थान	थाना	जिला	मुक्ति हेतु व्यय की गई राशि	पुनर्वास हेतु दी गई राशि	फर्म का नाम/नियोजक का नाम
1	सरोज कुमार पुत्र/सोनचन्द्र	8.2. 2000	घोघाड़ी	कोटा	बिलासपुर	—"—	—"—	बाबा ब्रिक्स फील्ड मौरावां जन. उन्नाव
2	सुनीता पत्नी/सरोज कुमार	—"—	घोघाड़ी	कोटा	बिलासपुर	—"—	—"—	—"
3	श्रीमती प्यारीबाई पत्नी/भोलू	—"—	जोगीपुर	कोटा	बिलासपुर	—"—	—"	—"
4	श्रीमती कुमारी बाई पत्नी/भुलऊ	—"—	जोगीपुर	कोटा	बिलासपुर	—"	—"	—"
5	मोहन पुत्र/भालू	—"	जोगीपुर	कोटा	बिलासपुर	—"	—"	—"
6	सुखदेव पुत्र/भुलऊ	—"	जोगीपुर	कोटा	बिलासपुर	—"	—"	—"
7	श्रीमती कौशिल्या पत्नि/लक्ष्मीराम	—"	जोगीपुर	कोटा	बिलासपुर	—"	—"	—"
8	श्रीमती कमलेश पत्नि/बबलू	—"	जोगीपुर	कोटा	बिलासपुर	—"	—"	—"
9	कु० सरस्वती पुत्री/भोलूराम	—"	जोगीपुर	कोटा	बिलासपुर	—"	—"	—"
10	अश्वनी पुत्र/भुलऊ	—"	जोगीपुर	कोटा	बिलासपुर	—"	—"	—"
11	श्री भोलू पुत्र/लक्ष्मीराम	—"	जोगीपुर	कोटा	बिलासपुर	—"	—"	—"

12	12	श्री भुलज पुत्र/ लच्छीराम	---	जोगीपुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
13	13	श्री धरम पुत्र/ केजाराम	---	रानीसागर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
14	14	श्री भागवत पुत्र/ दर्शन	---	रानीसागर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
15	15	श्री विजयकुमार पुत्र/ साधुलाल	---	रानीसागर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
16	16	श्री श्यामलाल पुत्र/ विश्वम्भर	---	बुड़पुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	कानपुर (उ०प्र०)
17	17	श्री द्वारिका प्रसाद पुत्र/ श्यामलाल	---	बुड़पुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
18	18	श्रीमती अनुसूईयाबाई पति/ द्वारिकाप्रसाद	---	बुड़पुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
19	19	श्री लालजी पुत्र/ विश्राम	---	बुड़पुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
20	20	श्री उत्तमकुमार पुत्र/ लालजी	---	बुड़पुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
21	21	*श्रीमती गुड़िया पति/ लालजी	---	बुड़पुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
22	22	श्री अशोक कुमार पुत्र/ लोरिकराम	---	बुड़पुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
23	23	श्रीमती सुजबाई पति/ लोरिकराम	---	बुड़पुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
24	24	श्री शिवकुमार पुत्र/ माखन	---	बुड़पुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
25	25	श्रीमती शिवकुमारी पति/ शिवकुमार	---	बुड़पुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
26	26	श्री दुकलवा पुत्र/ सखीराम	---	बुड़पुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
27	27	श्री रामजी पुत्र/ अलाल	---	बुड़पुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
28	28	कु० निर्मला पुत्री/ लालजी	---	बुड़पुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
29	29	कु० इला पुत्री/ लोरिक	---	बुड़पुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
30	30	श्री रवि पुत्र/ लोरिक	---	बुड़पुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
31	31	श्री संतोष पुत्र/ लोरिक	---	बुड़पुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
32	32	कु० कला पुत्री/ लोरिक	---	बुड़पुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
33	33	श्री रामकुमार	---	सिरसिहा	कोटा	बिलासपुर	---	---	श्री

पुत्र/भदवरिया

प्रतापनारायण
पाल आ०बी०
एम० राजपाल
ईट उद्योग
गंगा गंज,
थाना
हरचन्द्रपुर,
जिला
रायबरेली
(उ०प्र०)

34	34	श्री बाला पुत्र/बगलू	---	मुढीपार	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
35	35	श्री जगदीस पुत्र/सावन	---	कुसकट्टी	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
36	36	श्री मनोहर पुत्र/सतेरू	---	मूर्तिपारा	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
37	37	श्री देशाई पुत्र/संतोष	---	मोहदी	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
38	38	श्री रूपचंद पुत्र/हखराराम	---	पोढी	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
39	39	श्रीमती यशोदा पत्नी/लखन	---	कोटा	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
40	40	श्रीमती जामवन्ती पत्नी/उमन	---	कोटा	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
41	41	श्रीमती सुरेखा पत्नी/लखन	---	कोटा	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
वर्ष 2003									
42	1	दिलीप कुमार पिता/नंदरू	पत्र क्र० 3882/ 04.04. 2003	लालपुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	कौशम्बी (उ०प्र०)
43	2	श्रीमती कचरा बाई पत्नी/दिलीप कुमार	---	लालपुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
44	3	कुमारी पार्वती पुत्री/दिलीप कुमार	---	लालपुर	कोटा	बिलासपुर	---	---	---
45	4	श्री विजय कुमार पुत्र/साधेलाल	---	रानी सागर	करगी रोड	बिलासपुर	---	---	सुमन ब्रीक्स फिल्ड, ग्राम रजा पो० बस्ती, थाना गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर

46	5	श्रीमती सुनीता बाई	---	रानी सागर	करगी रोड	बिलासपुर	---	---	---
वर्ष-2005									
47	1	श्रीमती मीरा पति गंगासिंह गोड़	14.09.2005	ग्राम बेलगहना/तह0 कोटा,	कोटा	बिलासपुर	---	---	जिला सागर (म0प्र0)
48	2	ओंकार पिता अमानसिंह	---	---	कोटा	---	---	---	---
49	3	जीत सिंह पिता कमल सिंह	---	---	कोटा	---	---	---	---
50	4	बसंत बाई पति जीतसिंह	---	---	कोटा	---	---	---	---
51	5	सुनिल पिता गणेश सिंह	---	---	कोटा	---	---	---	---
52	6	सविता पति सुनिल	---	---	कोटा	---	---	---	---
53	7	विक्रम पिता नारायण सिंह	---	---	कोटा	---	---	---	---
54	8	अनिता पति विक्रम	---	---	कोटा	---	---	---	---
55	9	अजित पिता कमल सिंह	---	---	कोटा	---	---	---	---
56	10	आरती पति अजीत सिंह	---	---	कोटा	---	---	---	---
57	11	सीताराम पिता कमल सिंह	---	---	कोटा	---	---	---	---
58	12	संगीता पति सीताराम	---	---	कोटा	---	---	---	---
59	13	नारायण पिता मोतीलाल	---	---	कोटा	---	---	---	---
60	14	रेखा पति नारायण	---	---	कोटा	---	---	---	---
61	15	रघुवर पिता गणेश	---	---	कोटा	---	---	---	---
62	16	छोटू पिता गणेश	---	---	कोटा	---	---	---	---
63	17	रूपकुंर पति रामअवतार	---	---	कोटा	---	---	---	---
64	18	शैलेन्द्र पिता अमरसिंह	---	---	कोटा	---	---	---	---
65	19	वंदना पति शैलेन्द्र	---	---	कोटा	---	---	---	---
66	20	गंगासिंह पिता अमरसिंह	---	---	कोटा	---	---	---	---
67	21	श्री नगेश्वर अनन्त पुत्र श्री शिवसागर	30.01.2011	ग्राम अमने, थाना कोटा, वि. ख. कोटा, जिला बिलासपुर	कोटा	---	---	---	मेसर्स माँ भगवती, ब्रिक फील्ड, आदिलपुर, थाना जगदीशपुर,

									तह. गौरीगंज, छत्रपति शाहूजी, महाराजनगर, (उ.प्र.)
68	22	श्रीमती सेमबाई पत्नी नगेश्वर,	—"—	ग्राम अमने, थाना कोटा, वि. ख. कोटा, जिला बिलासपुर	—"—	—"	—"	—"	—"
69	23	गौरी पुत्री श्री नगेश्वर	—"—	ग्राम अमने, थाना कोटा, वि. ख. कोटा, जिला बिलासपुर	—"	—"	—"	—"	—"
70	24	श्री शिवचरण पुत्र श्री महेशकुमार	—"—	ग्राम घोघाडीह, थाना कोटा वि. ख. तखतपुर तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	कोटा	—"	—"	—"	—"
71	25	श्री अजराम पुत्र श्री गुरुचरन	—"—	ग्राम घोघाडीह, थाना कोटा वि. ख. तखतपुर तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	—"	—"	—"	—"	—"
72	26	श्री शिवनारायण पुत्र श्री देवलाल	—"—	ग्राम रतनपुर, थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	—"	—"	—"	—"	—"
73	27	श्रीमती राजिम पत्नी श्री शिवचरण	—"—	ग्राम घोघाडीह, थाना कोटा वि. ख. तखतपुर तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	—"	—"	—"	—"	—"
74	28	श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री रमेश	—"—	ग्राम सेमरिया, थाना करगीरोड कोटा, त.कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	—"	—"	—"	—"	—"
75	29	श्रीमती दीपा पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश	—"—	ग्राम सेमरिया, थाना करगीकोटा, तह. कोटा, जिला	—"	—"	—"	—"	—"

				बिलासपुर (छ.ग.)					
76	30	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री पंचू	---	ग्राम सेमरिया, थाना करगीरोड कोटा, त.कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---	---	---	---	---
77	31	श्रीमती मीनाबाई पत्नी श्री रमेशकुमार	---	ग्राम सेमरिया, थाना करगीरोड कोटा, त.कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---	---	---	---	---
78	32	श्रीमती मीना पत्नी श्री शिवनारायण	---	ग्राम रतनपुर, थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---	---	---	---	---
79	33	श्रीमती सीता पत्नी श्री अशोककुमार	---	ग्राम सेमरिया, थाना करगीरोड कोटा, त.कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---	---	---	---	---
80	34	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री पंचू	---	ग्राम सेमरिया, थाना करगीरोड कोटा, त.कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---	---	---	---	---
81	35	श्रीमती कीर्ति पत्नी श्री त्रिभंजन	---	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---	---	---	---	---
82	36	श्रीमती जमीला पत्नी श्री सोनूदास	---	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---	---	---	---	---
83	37	श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी श्री धनश्याम	---	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---	---	---	---	---

84	38	श्री सुरेश पुत्र श्री लहेर	---"	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---"	---"	---"	---"	---"
85	39	श्रीमती लतलीबाई पत्नी श्री बोधूराम	---"	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---"	---"	---"	---"	---"
86	40	श्रीमती गुड्डी पत्नी श्री दिलचंद	---"	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---"	---"	---"	---"	---"
87	41	श्री धनश्याम पुत्र श्री परोमन	---"	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---"	---"	---"	---"	---"
88	42	श्री सोनूदास पुत्र श्री प्रीतम	---"	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---"	---"	---"	---"	---"
89	43	श्री देवी खाण्डे पुत्र श्री महेश खाण्डे	---"	ग्राम घोघाडीह, थाना कोटा वि. ख. तखतपुर तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---"	---"	---"	---"	---"
90	44	श्रीमती सीता पत्नी श्री जयकुमार	---"	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---"	---"	---"	---"	---"
91	45	श्री दिलचन्द पुत्र श्री शिवदयाल	---"	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि.	---"	---"	---"	---"	---"

				ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)					
92	46	श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री गुहा	---	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---	---	---	---	---
93	47	श्रीमती संतोषी बाई पत्नी श्री देवी खाण्डे	---	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---	---	---	---	---
94	48	श्रीमती संतोषी पत्नी श्री सुरेश	---	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---	---	---	---	---
95	49	श्री कामता प्रसाद पुत्र श्री नन्दराम	---	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---	---	---	---	---
96	50	श्री जयकुमार पुत्र श्री गुहा	---	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---	---	---	---	---
97	51	श्री बोधूराम पुत्र श्री नन्दराम	---	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---	---	---	---	---
98	52	श्री आनन्दलाल पुत्र श्री कोमल खाण्डे	---	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर,	---	---	---	---	---

				जिला बिलासपुर (छ.ग.)					
99	53	श्री बबलू पुत्र श्री महेदू	---"---	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---"---	---"---	---"---	---"---	---"---
100	54	कु. अल्पना पुत्री कोमल खाण्डे	---"---	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---"---	---"---	---"---	---"---	---"---
101	55	श्रीमती रंजीता पत्नी श्री बबलू	---"---	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---"---	---"---	---"---	---"---	---"---
102	56	श्री कोमल खाण्डे पुत्र श्री रेखाराम	---"---	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---"---	---"---	---"---	---"---	---"---
103	57	श्रीमती पूनीबाई पत्नी श्री कोमल खाण्डे	---"---	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---"---	---"---	---"---	---"---	---"---
104	58	श्रीमती मेलनबाई पत्नी श्री कामताप्रसाद	---"---	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---"---	---"---	---"---	---"---	---"---
105	59	श्री खेमराज पुत्र श्री कामता	---"---	ग्राम मोहनभाठा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---"---	---"---	---"---	---"---	---"---

106	60	श्रीमती पार्वती पत्नी श्री खेमराज	---	ग्राम मोहनभाटा, थाना कोटा, वि. ख. तखतपुर, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	---	---	---	---	---
वर्ष-2013									
107	61	श्रीमती सातबाई पत्नी श्री महेत्तर	---	ग्राम पोढी, था. कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	---	---	---	---	जिला बस्ती (उ.प्र.)
108	62	श्री संदीप पुत्र श्री महेत्तर	---	---	---	---	---	---	---
109	63	प्रतिमा पुत्री पुत्री श्री महेत्तर	---	---	---	---	---	---	---

Child Labour

Child Labour is a common sight in Tea Stall, Shops, Hotels, Agricultural field etc. Female child labours freed from their masters are kept in child home. Labour department is doing good job in the field of child labour.

Labour in Unorganized sector.

Mukhiya Mantri Kaushal Vikas Yojna is very successful in the district. I visited sipat Naawa gaon of Bilaspur district in which women are trained in sewing, stitching Cloths; Beautician courses etc. about 100 women from different villages of this panchyat were present. Mrs. Anita Gupta District Labour commissioner was also present during my visit. Mrs. Gupta under Mukhiya Mantri Kaushal Vikas Yojna has done excellent work which needs to be demonstrated outside the state. These women need to be given linkages with other development programmes so that they may get regular income each month. Employment programmes for these women be drafted and implemented.

following is the list of beneficiaries and a case study:-

**छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल
के अंतर्गत जानकारी**

- कुल हितग्राही पंजीयन - 67474
- सायकल वितरण - 4730 (मितानीन घरेलू कामगार)
- मशीन वितरण - 400
- असंगठित कर्मकार समाचार पत्र (हॉकर) सायकल सहायता योजना - 500

**छ.ग. भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
के अंतर्गत जानकारी**

क्रमांक	योजना का नाम	बालक	नालिका	कुल हितग्राही संख्या	कुल वितरित राशि
1	नीनिहाल छात्रवृत्ति योजना	1891	2033	3924	3001600.00
2	महिनी प्रसूति सहायता योजना			570	3736000.00
3	पितृत्व सहायता			246	693000.00
4	अत्येष्टि सहायता योजना			138	3455000.00
5	सामुहिक विवाह योजना			499	6030000.00
टोटल लगभग योग				5377	16915600.00

विश्वकर्मा दुर्घटना सहायता राशि	4 त्रैमासिक	210,000.00
सायकल वितरण	-	5013
लेडिस सिलाई मशीन	-	5000
किट वितरण	-	9031

मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना में प्रशिक्षण हितग्राही संख्या

ट्रेड	प्रशिक्षण प्राप्त		
(1) राजमिस्त्री प्रशिक्षण	87	-	
(2) सिलाई प्रशिक्षण	142	105	चल रहा है। 120 प्रारंभ किया जाना है।
(3) इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण	24	150	प्रारंभ किया जाना है।

स्वावलंबन पेंशन योजना लाभान्वित हितग्राही - 650

“सफल कहानी”

ईटा भट्ठा मजदूर रेजा की जुबानी



परिचय :-

- (1) श्रीमति नीता प्रजापति,
उम्र 30 वर्ष
(रेजा) ईटा निर्माण कार्य
नगर पंचायत तिफरा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) पति—श्री प्रजापति
(मजदूर) ईटा निर्माण कार्य
नगर पंचायत तिफरा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
- (3) 02 बच्चे, 01 पुत्र जो कक्षा तीसरी में अध्ययनरत है।
- (4) पति एवं पत्नि दोनों छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत हैं, तथा उन्हें मण्डल द्वारा दिये जाने वाले सुविचार प्राप्त है।
- (5) श्रीमति नीता प्रजापति को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल बिलासपुर श्रम विभाग द्वारा “ब्यूटीशियन” का प्रशिक्षण दिया गया है।
- (6) श्रीमति नीता प्रजापति का कहना है कि ग ईटा निर्माण में प्येरा के रूप में रेजा का कार्य करती है। ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण लेने से यह फायदा है कि ईटा निर्माण का कार्य सीजनल कार्य है। वर्ष में केवल 05 माह ईटा निर्माण में कार्य मिलता है। इसी वर्ष श्रम विभाग द्वारा हमें वर्ष अंत में ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना के तहत दिया गया है। सीजन के अलावा 5-6 माह हम ब्यूटीशियन के रूप में कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। जिससे मेरी आय में बढ़ोत्तरी हुई है। साल भर आय का लाभ भी मुझे मिलेगा। बच्चों को भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी जा रही है साथ ही स्वावलंबन पंशन योजना का लाभ भी मेरे द्वारा लिया जा रहा है।

पति, १२ मार्च / ILO, श्री जार माह इलाहाबाद

Land Acquisition and Rehabilitation Programme

Land of 3,101 families was acquired by the state government for NTPC at Sipat, Bilaspur.

Met with Mr. A. Bhardwaj , A.G.M.H.R and Mr. D.K. Patel, Head HR of NTPC in addition to these met with other officials and also with affected population. The affected population have grievances that they have not been properly rehabilitated and promises made by NTPC are not fulfilled.



NTPC, Sipat Rehabilitation programmes are following.

PRESENTATION ON STATUS OF
REHABILITATION ACTION PLAN
AND
RECRUITMENT OF PAPS AT NTPC
SIPAT

BACKGROUND

- Section 4(1) notification for NTPC Sipat was published on 6/11/1998
- Socio Economic Survey of all major affected village was done by IIT-Kanpur in 1998
- Committee comprising Sarpanch & Upsarpanch of all Eight village and other local people constituted on 28/3/2000 for formulating Rehabilitation Action Plan
- Another Committee formulated by Collector, Bilaspur on 31/3/2000 comprising District Revenue Authorities, Labour, Employment officer, CEO district panchayat, Sociologist & Educationist to review the draft RAP & Finalisation of RAP

BACKGROUND Contd

- District Administration has also convened open forum at Bilaspur on 21/4/2000 chaired by Shri S.C. Behar, Chief Advisor to Hon'ble Chief Minister of MP
- Follow up review meeting also held by Shri S.C. Behar on 15/7/2000 where the provisions of draft RAP was further discussed with environmentalist & Paryavaran NGO
- Finally after series of meeting of two Committees formulated by Collector Bilaspur the Rehabilitation Action Plan for NTPC Sipat was finalised on 5/8/2000

SAILENT FEATURES OF RAP

- As per finding of Socio Economic Survey by IIT Kanpur 80% of affected are Farmers. Care was taken not to affect a single Household (No Displacement)
- NTPC Sipat is being installed with environment friendly Super Critical Technology. employment opportunity in NTPC shall be Comparatively less.
- In view of above two Land for Land option was considered as Prime Rehabilitation Measure & care was taken to enable the PAPs to acquire same or more land nearby than that of acquisition. In addition to Land Compensation Rehabilitation Assistance shall be paid. On submission of proof of Land purchase further Land Registration & Development cost shall be paid.

STATUS OF RAP IN 2007

- As per provision of RAP Aug 2000 of NTPC Sipat the further land acquisition, distribution of Compensation, distribution of Rehabilitation amount as LFL for purchase of land and distribution of Land registration amount & Land Development cost was disbursed.
- It was time to time reviewed by District Authority & Finally it was reviewed and recorded in the MOM of Meeting of Collector, Bilaspur dated 26/02/2007 that all the PAPs were extended Rehabilitation Assistance as per RAP except few cases beyond control of NTPC (Family dispute/ Not traceable etc.)

PROVISIONS OF EMPLOYMENT IN RAP

- Sipat project being based on super critical Technology, the employment opportunities is comparatively less. Hence "Land for Land" option has been considered as Prime Rehabilitation measure.
- For direct employment in unskilled category, only PAPs are to be considered.
- In the skilled category, preference would be given to the PAPs
- In both the above categories employment shall be subject to eligibility as per NTPC R&R policy, availability of vacancies, NTPC's recruitment Policy, and Govt. policy on Reservation

Provisions of Employment in the RAP

The provisions related to Employment as provided in approved Rehabilitation Action Plan (RAP) is as under:

- 3.1.1.1 - The basis of extending the preference in employment will be on family basis. The family includes Husband, Wife & dependent children. The eligibility criteria will be as follows.
- 3.1.1.2 - The broader groups of Project Affected Persons (Khatedars) in order of preference will be as below:
 - ✓ Group 1 - Those project affected persons (Khatedars) who are resident of the area and are owners of the acquired land for more than 20 years prior to date of section 4(i) notification.
 - ✓ Group 2 - Those project affected persons (Khatedars) who are resident of the area and are owners of the acquired land for more than 10 years prior to date of section 4(i) notification.
 - ✓ Group 3 - Those project affected persons (Khatedars) who are resident of the area and are owners of the acquired land for more than 01 years prior to date of section 4(i) notification.

Provisions of Employment in the RAP Contd.

- 3.1.1.3 - Further, each of the above three groups shall have three sub-groups which shall in order of group priority be as below and comprise of:
 - ✓ Sub-group (a) - Those PAPs (Khatedars) whose more than 5.0 (Five) acres land is acquired.
 - ✓ Sub-group (b) - Those PAPs (Khatedars) whose more than 1.0 (One) acre to 5.0 (Five) acres land is acquired.
 - ✓ Sub-group (c) - Those PAPs (Khatedars) whose less than 1.0 (One) acre land is acquired.
- In each of the above three sub-groups, the priority list of the PAPs (Khatedars) shall be prepared in the descending order of the percentage of land acquired out of the total land holding of the respective PAPs (Khatedars).

Recruitment in 2007

- Open advertisement issued in News paper for recruitment of Technical posts like Artisan Trainee, Lab Asst. Trainee & Diploma Trainee
- As per demand of Land oustees age relaxation for PAPs corrigendum published in news paper
- However due to further agitation only PAPs who had applied against open advertisement were considered and total 39 were also recruited. At that time only PAP status was accepted and no other criteria like quantum of land loss/ period of land holding / relation with main khatedar or consent of all khatedar etc were not considered

Brief Status of Recruitment at NTPC Sipat

- A meeting was organised on 23rd Nov 2007 under chairpersonship of Hon ble Chief Minister, CG. In the meeting Hon ble Chief Minister asked that a plan for R&R should be submitted within one month
- Vide letter Ref 01/CMD/PES/603-141 dated 29/12/2007 NTPC Submitted status of R&R plan and also furnished roadmap of further action (CMD NTPC to CM-CG)

Brief Status of Recruitment at NTPC Sipat Contd..

- On 09/02/2008 a presentation was made by Dir(Proj) on Rehabilitation Action Plan & recruitment status for kind perusal of Hon'ble CM(CG). In the presentation preference has been defined for non executives recruitment as follows :
 - ❖ Land-oustees will have the first preference
 - ❖ Local residents from the Dist. Bilaspur, Korba & Janjgir Champa will have the next preference
 - ❖ Balance required if any and not available from Sl No 1 & 2 above will be taken from the Chhattishgarh State
 - ❖ In no case any recruitment in Non-Executive category will be done from outside the state of CG
 - ❖ Employment shall be subject to the availability of vacancies, Suitability, NTPC recruitment policy and Govt. policy on reservation

Brief plan of Recruitment at NTPC Sipat Contd..

- A meeting was held on 21 Feb 2008 at under chairmanship of Collector, Bilaspur in which the recruitment plan of 692 Non Executives was discussed. It was also informed that for further recruitment, priority list of the land oustees shall be prepared as per the RAP-Rehabilitation Action plan. The details of vacancies declared in 2008 is as below :

❖ Diploma/ITI	: 368
❖ Others (Lab Asst., Asst-general, Asst-F&A, Staff Nurse, Draughtsman, Para medical, Steno, Store keeper etc)	: 141
❖ Attendant / Mazdoor(unskilled)	: 117
❖ Retired Railway driver/ASM	: 66
❖ Total	: 692

Priority list

- As per decision taken in the meeting dated 21/02/2008 with Collector, Bilaspur & local MLAs a priority list consisting of PAs whose 1 Acre or more land was acquired and the land holding of minimum 20 years prior to section 4(1) notification i.e 06/11/1998 (This is also in line with provisions of RAP)
- Since 2008 recruitment for various posts and nomination for ITI Govt. ITI Koni has been done only considering PAs from Priority list as per their position and educational qualification as per suitability for various posts

Brief Status of Recruitment at NTPC Sipat Contd

- Recruitment made in 2007 39
- Recruitment made since 2008 299
- Under ITI training sponsored by NTPC & shall be absorbed after completion of Training 100
- Requisite Percentage of ST candidates are not available in PAs resulting backlog
- Non availability of qualified candidate among PAs in Stenography, Staff Nurse & Draughtsman

Observations

The Promises, as claimed by affected population, need careful consideration and must be fulfilled in a time frame else such aspirations lead to Naxalism and Maoism to which the state is already suffering.